

या स्थिति को देखते हैं कि  
 ये व्यवस्था निम्न प्रकार है।  
 प्रस्तावली या स्थिति अहम प्रावधानों  
 प्रत्येक अन्तर्गत धारा 5 अन्तर्गत  
 अधिनियम एवं अपील हेतु  
 आज्ञा क्रमांक दिनांक 17-10-2019  
 को संशोधित है।

उप खण्ड अधिकारी  
 बिलाड़ा

17/10  
2019

प्रस्तावली आज प्रस्तुत हुई।  
 अहम प्रावधानों अन्तर्गत।  
 प्रस्तावली प्रत्येक अन्तर्गत धारा  
 5 अन्तर्गत अधिनियम एवं  
 अपील पर संशोधित की  
 अधिनियम एवं संशोधित  
 प्रस्तावली की अहम प्रावधानों  
 को प्रस्तुत है।

उप खण्ड अधिकारी  
 बिलाड़ा

24/12  
2019

प्रस्तावली आज प्रस्तुत हुई।  
 अहम प्रावधानों एवं संशोधित  
 प्रस्तावली अन्तर्गत।  
 प्रस्तावली या स्थिति अहम प्रावधानों  
 को संशोधित एवं सुनिश्चित  
 शाब्दिक प्रस्तावली अहम प्रावधानों  
 को प्रस्तुत है।

उप खण्ड अधिकारी  
 बिलाड़ा

उप खण्ड अधिकारी  
 बिलाड़ा

तारीख  
हुक्म


हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व  
अहकाम  
हुक्म की त  
में जारी

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील  
आदेश 22 दिवस 2 को-पी-सी  
में व्यक्त प्रावधानों से उभरे  
वर्जित होने तथा समस्त विवेकों  
के आधार पर अपीलान्ट द्वारा  
प्रस्तुत अपील स्वीकार होकर  
उभरे होने से शर्जित हो गये।

सहाय्यी नैसर्ग शुभाकर  
जब्त से काम होकर शर्जित  
होता है।

निर्णय करे इतलाम  
शुभाकर गमा।

  
(शुभाकर कुमार)  
उप खण्ड अधिकारी  
बिलाड़ा